

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास- पीयूष समारिया, आई.ए.एस

15
/

राजस्व अपील संख्या -222/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर-2022/281

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. पुरखादेवी पत्नी रतूराम 2. सुखाराम पुत्र रतूराम 3. कालूराम पुत्र रतूराम 4. शिवलाल पुत्र रतूराम तमाम जाति जाट निवासीगण धून्धवालों की ढाणी, अलाय तहसील व जिला नागौर राज0		तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति:-

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्याम सारस्वत।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय

दिनांक 18-10-2022

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या-50/2022 सरकार बनाम कालूराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 23.03.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.08.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपील अपीलान्ट ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि दिनांक 24.06.2022 को पटवारी वगैरा पुलिस को लेकर मौके पर पहुँचे तथा मौके पर अपीलान्ट्स की खातेदारी की भूमि की पूर्वी माठ के पास जबरन नया रास्ता बनाने का प्रयास किया तब अपीलान्ट को इस बात की जानकारी होने पर मौके पर पहुँचे ते पटवारी वगैरा ने बताया कि तहसीलदार के फैसले की पालना कराने आये है, तब अपीलान्ट्स ने नागौर आकर अपीलाधीन निर्णय की नकलें वगैरा प्राप्त की, नकले मिलते ही बिना बिलम्ब के यह अपील प्रस्तुत कर दी जो समय भीतर अपील प्रस्तुत नहीं करने का उचित एवं पर्याप्त कारण होने का कथन करते हुए देरी माफ कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया है। राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए प्रार्थी/अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र एवं अपील खारिज करने का निवेदन किया है। वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थी/अपीलान्ट मयाद प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों पर विश्वास किया जाकर प्रार्थी/अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का की गलत व झूठी रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम धून्धवालो की ढाणी के खसरा संख्या 1164 रकबा 2.5738 हैक्टर में से 1/4 हिस्से पर सम्बत् 2078 में कब्जा कर अतिक्रमण करने का प्रकरण अपीलान्ट्स के विरुद्ध भू राजस्व की धारा 91 में दर्ज कर अपीलान्ट्स को जवाब साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलान्ट्स को भौतिक रूप से बेदखल करने तथा दस रूपये शास्ति के अधिरोपित करने के आदेश दिये। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी पहले नहीं हो सकी थी अभी दिनांक 24.6.2022 को पटवारी वगैरा पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे तथा मौके पर अपीलान्ट्स की



कलक्टर, नागौर

A5
2

खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2094/1184 बाके मौजा धून्धवालो की ढाणी की पूर्वी माठ के पास जबरन नया रास्ता बनाने का प्रयास किया तब अपीलान्ट्स को इस बात की जानकारी होने पर अपीलान्ट्स मौके पर पहुंचे तब पटवारी वगैरा ने बताया कि तहसीलदार के फैसले की पालना कराने आये है। नाप चौप करने की बात कही, नाप चौप करने से यह रास्ता अपीलान्ट्स की भूमि पर नहीं पाया गया जिस पर पटवारी वगैरा किसी प्रकार की कार्यवाही किये बगैर वापस चले गये। अपीलान्ट्स ने नागौर आकर अपीलाधीन निर्णय की नकले वगैरा प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधि विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त योग्य है। अपीलान्ट्स ने किसी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है और न ही खसरा संख्या 1164 जैसा कोई रास्ता कभी अपीलान्ट्स के खातेदारी की भूमि में रहा न आज दिन है। केवल मात्र नक्शे में हो रखे गलत इन्द्राज के आधार पर अपीलाधीन कार्यवाही करने व निर्णय पारित करने का कोई अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सारी कार्यवाही राजनैतिक दबाव में आकर की गई है। अपीलान्ट्स के खातेदारी की भूमि 2094/1184 की पूर्व दिशा की सीव माठ पर कभी भी कटाण रास्ता या अन्य प्रकार का रास्ता नहीं रहा है।

ग्राम अलाय के अन्य खसरो की भूमि के साथ साथ ख.नं. 1184 रकबा 32 बीघा भूमि देदाराम, चूनाराम, उमाराम, रतूराम रावतराम पुत्रगण कानाराम, बक्सीया पुत्र बन्नाराम जाट के खातेदारी की भूमि थी। वर्तमान में नया राजस्व गांव धून्धवालो की ढाणी बन जाने से ख.नं. 1184 की भूमि गांव धून्धवालो की ढाणी में आ गई। सहखातेदारो के बीच उनकी सम्पूर्ण भूमि का विभाजन हो जाने से ख.नं. 1184 की पश्चिम तरफ की 15 बीघा 17 बिस्वा भूमि बस्ताराम के लड़को चेतनराम वगैरा के बन्ट खातेदारी में रखी गई तथा ख.नं. 1184 की पूर्व दिशा की 15 बीघा 18 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के बन्ट खातेदारी में रखी गई। अपीलान्ट के बन्ट में आई इस 15 बीघा 18 बिस्वा भूमि के नये ख.नं. 2094/1184 दर्ज हुए है। इस प्रकार 2094/1184 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा भूमि वर्तमान अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज है। इन चारो की भी आपसी सहमति से यह भूमि यानि ख.नं. 2094/1084 अपीलान्ट पूरखादेवी और कालूराम के बन्ट में रखी हुई है। राजस्व नक्शे में ख.नं. 2094/1084 की अलग से तरमीम नहीं हो रखी है तथा नक्शे में इसे अभी पूरा ख.नं. 1184 ही बताया हुआ है। मूल ख.नं. 1184 (जिसके दो नये ख.नं. 1184 तथा 2094/1184 पड़े है) की पूर्वी माठ पर कभी भी रास्ता मौके पर नहीं रहा और न यह रास्ता आज दिन मौके पर है। पुराना राजस्व नक्शा सम्वत् 2006 में बना उसमे भी ऐसे किसी रास्ते का उल्लेख इन्द्राज किया हुआ नहीं है। ख.नं. 1184 के पुराने ख.नं. 615 थे। नये बन्दोबस्त के दौरान बन्दोबस्त कर्मचारियो ने बिना अधिकार के ख.नं. 1184 की पूर्वी माठ पर राजस्व नक्शे में गलत रूप से रास्ता दिखा दिया जबकि ऐसा रास्ता मौके पर कभी भी मौजूद नहीं था न आज दिन मौके पर ऐसा रास्ता है। बन्दोबस्त कर्मचारियो को केवल मात्र पुराने नक्शे की पुनरावृत्ति करने का ही अधिकार था। नक्शे में परिवर्तन, रद्दोबदल करने या नक्शे में ख.नं. 1184 की पूर्वी माठ पर नया रास्ता दिखाने का कोई अधिकार बन्दोबस्त कर्मचारियो को नहीं था। बन्दोबस्त कर्मचारियो की सारी कार्यवाही बिना क्षेत्राधिकार की होने से प्रारम्भ से ही अवैध शून्य, विधि विरुद्ध रही है। मूल ख.नं. 1184 की पूर्व दिशा में नक्शे में जो रास्ता गलत रूप से दिखाया गया यानि वर्तमान ख.नं. 2094/1184 में दिखाया हुआ है उसे हटाने व राजस्व नक्शा दुरुस्त कराने हेतु अपीलान्ट्स ने उपखण्ड अधिकारी नागौर की अदालत में नक्शा दुरुस्ती का वाद संख्या 35/18 पेश कर रखा है इसके बावजूद धारा 91 की कार्यवाही करना विधि विरुद्ध था।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को धारा 91 का नोटिस दिया गया उस वक्त नागौर में अधिवक्ताओ द्वारा नागौर मुख्यालय पर जिला एवम् सत्र न्यायालय की स्थापना को लेकर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार चल रहा था जो फरवरी 2022 से शुरू होकर मई 2022 के प्रथम सप्ताह चल बहिष्कार चला था। बहिष्कार के चलते कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था और न ही न्यायिक कार्य कर रहे थे। ऐसी स्थिति में 4.3.2022 को अपीलान्ट्स कालूराम व शिवलाल अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उन्होंने लिखित रूप में आवेदन पेश कर अधिवक्ताओ की हड़ताल होने के कारण अधिवक्ता नहीं कर पाने की बात बताई व वकील करने, जवाब देने साक्ष्य



कलक्टर, नागौर

सबूत पेश करने का व मुकदमा झगड़ने हेतु समय मांगा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट कालूराम व शिवलाल के खाली आर्डरशीट पर हस्ताक्षर कराये तथा कहा कि तीन दिन का समय दिया जाता है लेकिन अभी नकले लेने पर मालूम हुआ कि आर्डरशीट में बेइमानी व धोखाधड़ी करते हुए अपीलान्ट के पीठ पीछे अतिक्रमण होना स्वीकार करने की गलत आर्डरशीट लिख दी जबकि अपीलान्ट्स ने कभी भी अपना अतिक्रमण होना स्वीकार नहीं किया था। अपीलान्ट्स तो इस रास्ते के गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराने हेतु पहले से ही उपखण्ड अधिकारी नागौर के न्यायालय में मुकदमा झगड़ रहे हैं इसलिए अतिक्रमण स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिनांक 7.3.2022 को अपीलान्ट्स ने उपस्थित हुए मगर वकीलो की हड़ताल के चलते अपना वकील नहीं कर सके। नकल लेने से मालूम हुआ कि 7.3.22 की आर्डरशीट में 4.3.22 की आर्डरशीट को निरस्त करने का उल्लेख है। 7.3.22 से लेकर मई प्रथम सप्ताह तक वकीलो का न्यायिक कार्य बहिष्कार चलता रहा। 23.3.22 को भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार था, लेकिन टाइप वाले से अपीलान्ट्स ने टाइप कराकर अपना जवाब पेश किया। 23.3.22 को जवाब लेकर खाली आर्डरशीट पर अपीलान्ट्स के हस्ताक्षर कराकर अपीलान्ट्स को कोई तारीख नहीं दी तथा कहा कि साक्ष्य सबूत गवाह पेश करने के लिए तुम्हे नोटिस देकर तारीख की सूचना दे दी जायेगी लेकिन उसके बाद अपीलान्ट्स को तारीख पेश की कोई सूचना नोटिस तहसीलदार के यहां से नहीं मिला और अधीनस्थ न्यायालय ने 23.3.22 को ही अपीलान्ट्स के विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया।

अपीलान्ट्स को साक्ष्य, सबूत, गवाही व सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित व पर्याप्त अवसर नहीं देने के कारण अपीलान्ट्स के साथ घोर अन्याय हुआ है और उसे अपने सुनवाई के अधिकारों से वंचित रहना पड़ा है। अधीनस्थ नयायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपीलाधीन निर्णय अपास्त योग्य है।

अपीलान्ट्स के खातेदारी की भूमि में पूर्व तरफ कभी भी रास्ता मौके पर नहीं रहा है न आज दिन है। राजस्व नक्शे में इस रास्ते को गलत रूप से दर्शाया गया है। केवल नक्शे में या राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्शा देने मात्र से अपीलान्ट के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार अधीनस्थ नहीं था। नक्शे में व राजस्व रेकर्ड में हो रखे इस गलत इन्द्राज को सही व दुरुस्त करने का राजस्व प्रकरण अपीलान्ट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी नागौर की अदालत में पहले से किया हुआ लम्बित है। नियमित नुकदमे के लम्बित रहते धारा 91 जैसी संक्षिप्त प्रक्रिया की कार्यवाही अपीलान्ट्स के विरुद्ध नहीं की जा सकती थी। अपीलान्ट्स के विरुद्ध सारी कार्यवाही राजनैतिक विद्वेष से की गई है। यदि अपीलाधीन निर्णय कायम रखा गया तो अपीलान्ट्स को अपूर्ण क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी सूरत में संभव नहीं हो सकेगी वाद बाहुल्यता बढ़ेगी। सुविधा का सन्तुलन भी अपीलान्ट्स के पक्ष में होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 50/2022 में पारित निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि पटवारी अलाय द्वारा अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम धूधवालों की ढाणी के खसरा नम्बर 1164 रकबा 2.5738 में से 1/4 वां हिस्सा किसम गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट्स के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया एवं अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब भी प्रस्तुत किया, परन्तु अपीलान्ट्स द्वारा अपने पक्ष में ठोस सबूत एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने पर अपीलान्ट का उक्त विवादग्रस्त रास्ते की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जाना साबित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो पूर्णतया सही है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार अपीलान्ट्स का रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण है। अपीलान्ट्स स्वयं ने कथन किया है कि "मूल ख.नं. 1184 की पूर्व दिशा में नक्शे में जो रास्ता गलत रूप से दिखाया गया यानि वर्तमान ख.नं. 2094/1184 में दिखाया हुआ है उसे हटाने व राजस्व नक्शा दुरुस्त कराने हेतु अपीलान्ट्स ने उपखण्ड अधिकारी नागौर की अदालत में नक्शा दुरुस्ती का वाद संख्या 35/18 पेश कर रखा है" वकील अपीलान्ट ने राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 1184 में रास्ता वर्तमान खसरा नं. 2094/1184 में दिखाया हुआ होना, जो गलत होने राजस्व नक्शा दुरुस्त कराने हेतु अपीलान्ट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी नागौर की अदालत में नक्शा दुरुस्ती का वाद पेश किया हुआ होना उक्तानुसार स्वीकार किया है। उक्त रास्ता गलत रूप से राजस्व नक्शे में दर्शाया



कलकटर, नागौर

गया है अथवा नहीं इसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, जिस हेतु अपीलान्ट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी नागौर के न्यायालय में नक्शा दुरुस्ती का वाद भी प्रस्तुत किया हुआ है। वर्तमान राजस्व नक्शों में वादग्रस्त भूमि रास्ते के रूप में दर्ज होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील जो पारित किया गया है, जो सही है। अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये हैं, का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकूलाय की बहस पर मनन किया। पटवारी अलाय द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक अलाय से तस्दीकशुदा अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम धूंधवालों की ढाणी के खसरा नम्बर 1164 रकबा 2.5738 में से 1/4 वां हिस्सा किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध धारा 91 आर. एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया एवं अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब भी प्रस्तुत किया, परन्तु अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष में ठोस सबूत एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने पर अपीलान्ट का उक्त वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जाना साबित होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। अपीलान्ट्स स्वयं ने हस्तगत अपील में कथन किया है कि "मूल ख.नं. 1184 की पूर्व दिशा में नक्शों में जो रास्ता गलत रूप से दिखाया गया यानि वर्तमान ख.नं. 2094/1184 में दिखाया हुआ है उसे हटाने व राजस्व नक्शा दुरुस्त कराने हेतु अपीलान्ट्स ने उपखण्ड अधिकारी नागौर की अदालत में नक्शा दुरुस्ती का वाद संख्या 35/18 पेश कर रखा है" इस प्रकार वकील अपीलान्ट ने राजस्व नक्शों में खसरा नम्बर 1184 में रास्ता वर्तमान खसरा नं. 2094/1184 में दिखाया हुआ होना, जो गलत होने राजस्व नक्शा दुरुस्त कराने हेतु अपीलान्ट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी नागौर की अदालत में नक्शा दुरुस्ती का वाद पेश किया हुआ होना उक्तानुसार स्वीकार किया है। उक्त रास्ता गलत रूप से राजस्व नक्शों में दर्शाया गया है अथवा नहीं इसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, जिस हेतु वकील अपीलान्ट के कथनानुसार अपीलान्ट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी नागौर के न्यायालय में नक्शा दुरुस्ती का वाद भी प्रस्तुत किया हुआ है। वर्तमान राजस्व नक्शों में वादग्रस्त भूमि रास्ते के रूप में दर्ज होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील जो पारित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील की पुष्टि की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर